प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीस'

प्रश्न सं. [ क्र. 6946 ]

[ 31/3/2016]

परिशिष्ट 'अ'

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 6946 की पूरक जानकारी

1– दमोह जिले की जनपद पंचायतवार सचिवो के कार्यरत/निलंबित/रिक्त पदो की जानकारी –

| क्र | ज.पं. का नाम | ग्राम पं. की संख्या | कार्यरत सचिवों की संख्या | निलंबित सचिव की संख्या | योग | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दमोह | 89 | 81 | 01 | 82 | 07 |
| 2 | हटा | 57 | 54 | 01 | 55 | 02 |
| 3 | पथरिया | 62 | 51 | 01 | 52 | 10 |
| 4 | जबेरा | 70 | 66 | 01 | 67 | 03 |
| 5 | तेन्दूखेड़ा | 63 | 59 | 02 | 61 | 02 |
| 6 | पटेरा | 60 | 54 | 04 | 58 | 02 |
| 7 | बटियागढ़ | 59 | 48 | 04 | 52 | 07 |
| | योग– | 460 | 413 | 14 | 427 | 33 |

2– दमोह जिले की 07 जनपद पंचायतो की 460 ग्राम पंचायतो में स्वीकृत सचिव के पदो के विरूद्ध 413 सचिव कार्यरत है, 14 सचिव निलंबित है। (07 के वित्तीय अधिकार धारा 69(1) के तहत् प्रत्याहरित एवं 07 निलंबित)

3– पंचायत सचिवो के 33 रिक्त पदो की पूर्ति हेतु म0प्र0 पंचायत सेवा भर्ती नियम 2011 के तहत् कार्यवाही प्रचलन में है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दमोह

५।२।२०१२-ब

## विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 6946 के बिन्दु 'ख' का उत्तर

| ज.पं. का नाम | निलंबित / सचिवीय अधिकार प्रत्याहरित की जानकारी |
|---|---|
| दमोह | श्री गोकल प्रसाद पटैल सचिव ग्रा.पं. हथना को लोकायुक्त द्वारा ट्रेप किये जाने पर म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत् सचिवीय वित्तीय अधिकार प्रत्याहरित किये गये है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। |
| हटा | श्री पूरनलाल पटैल सचिव ग्रा.पं. कुवरपुर द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमित्ता किये जाने पर म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत् सचिवीय वित्तीय अधिकार प्रत्याहरित किये गये है। पद से पृथक किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में हैं |
| पथरिया | श्री भगवान सिंह लोधी सचिव ग्रा.पं. सेमरालोधी द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमित्ताऐ वरते जाने के कारण म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग–2 के नियम–4 प्रावधान अनुसार निलंबित किया जाकर उपनियम 7(4)(5)(6) के अंतर्गत विभागीय जांच भी संस्थित की गई है। |
| जबेरा | श्री शंकरलाल प्रजापति सचिव ग्रा.पं. रौड़ द्वारा सचिवीय दायित्वों में लापरवाही एवं कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता वरते जाने के कारण म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग–2 के नियम–4 प्रावधान अनुसार निलंबित किया गया है। |
| तेन्दूखेड़ा | 1– श्री राजेन्द्र शुक्ला सचिव ग्रा.पं. पौड़ी द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमित्ता वरते जाने के कारण म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत् सचिवीय वित्तीय अधिकार प्रत्याहरित किये गये है। पद से पृथक किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में ।<br>2– श्री मोहनलाल सेन सचिव ग्रा.पं. कुदपुरा द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमित्ता गवन किये जाने के कारण म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत् सचिवीय वित्तीय अधिकार प्रत्याहरित किये गये है। पद से पृथक किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। |
| पटेरा | 1– श्री प्रहलाद खंगार सचिव ग्रा.पं. कोटा द्वारा ग्राम पंचायत नयागांव पदस्थापना कार्यकाल दौरान वरती गई गंभीर वित्तीय अनियमित्ता वरते जाने के कारण म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग–2 के नियम–4 प्रावधान अनुसार निलंबित किया जाकर उपनियम 7(4)(5)(6) के अंतर्गत विभागीय जांच भी संस्थित की गई है।<br>2– श्री लल्लूप्रसाद अहिरवार सचिव ग्रा.पं. गाता द्वारा ग्राम पंचायत रेखझाकलां पदस्थापना कार्यकाल दौरान वरती गई गंभीर वित्तीय अनियमित्ता वरते जाने के कारण म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग–2 के नियम–4 प्रावधान अनुसार निलंबित किया जाकर उपनियम 7(4)(5)(6) के अंतर्गत विभागीय जांच भी संस्थित की गई है।<br>3– श्री दुरगसींग सचिव ग्रा.पं. शिकारपुरा द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमित्तायें वरते जाने के कारण म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग–2 के नियम–4 प्रावधान अनुसार निलंबित किया गया ।<br>4– श्री गनेश सेन सचिव ग्रा.पं. बमनी द्वारा ग्रा.पं. सलैया पदस्थापना कार्यकाल दौरान वरती गई गंभीर वित्तीय अनियमित्ता वरते जाने के कारण म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग–2 के नियम–4 प्रावधान अनुसार निलंबित किया जाकर उपनियम 7(4)(5)(6) के अंतर्गत विभागीय जांच भी संस्थित की गई है। |
| बटियागढ़ | 1– श्री सोहनलाल भूरिया सचिव ग्रा.पं. सिंगपुर द्वारा गंभीर अनियमित्ता के कारण म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत् सचिवीय वित्तीय अधिकार प्रत्याहरित किये गये है। पद से पृथक की कार्यवाही प्रचलन में ।<br>2– श्री गुलाब सिंह गौड़ सचिव ग्रा.पं. जागूपुरा द्वारा वित्तीय अनियमित्ता के कारण म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत् सचिवीय वित्तीय अधिकार प्रत्याहरित किये गये है।<br>3– श्री प्रमोद कुमार गर्ग सचिव ग्रा.पं. हरदुआजामसा द्वारा वित्तीय अनियमित्ता / गवन के कारण म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69(1) के तहत् सचिवीय वित्तीय अधिकार प्रत्याहरित किये गये है। प्रकरण उच्च न्यायालय में प्रचलन में है।<br>4– श्री मुददीन खां सचिव ग्रा.पं. खिरियाअसली सचिवीय दायित्वो के प्रति गंभीर लापरवाही के कारण म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के भाग–2 के नियम–4 प्रावधान अनुसार निलंबित किया गया । |

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दमोह